भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 904
(07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)
ओडिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

904. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है और किए गए /किए जा रहे निर्माण कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त राज्य में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सड़कों के निर्माण में विलंब से संबंधित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में उक्त सड़क की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के लिए लोक सभा के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करे:

(घ) क्या इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): ओडिशा राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 1 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत , पूरी की गई ओर शेष सड़क का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(सड़क लंबाई कि.मी. में)

घटक	स्वीकृत			पूरी की गई			शेष		
	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई	पुल	सड़कों की संख्या	सड़कों की संख्या	पुल	सड़कों की संख्या	सड़कों की संख्या*	पुल
पीएमजीएसवाई-I	15,826	61,122	525	15,775	58,566	503	51	173	22
पीएमजीएसवाई-II	636	3,672	30	633	3,648	29	3	4	1
आरसीपीएलडब्ल्यूईए@	52	529	2	27	371	0	25	156	2
पीएमजीएसवाई-III	1,408	9,400	92	366	4,273	3	1,042	5,081	89
कुल	17,922	74,723	649	16,801	66,858	535	1,121	5,414	114

** वक्र लंबाई, संरेखण में बदलाव, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण इत्यादि में कमी के कारण शेष सड़क लंबाई स्वीकृत और पूरी की गई लंबाई के अंतर से कम है।*

@ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए सड़क संपर्कता परियोजना

(**ख):** राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार , कार्य के निष्पादन में देरी मूल रूप से पर्याप्त भूमि चौड़ाई की अनुपलब्धता, याचिकाओं, आवश्यक वन मंजूरी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित कार्यकलापों इत्यादि के कारण हुई। विगत तीन वर्षों में भी पीएमजीएसवाई कार्य के निष्पादन की गति कोविड महामारी के कारण धीमी हुई।

(ग) से (ड.): ओडिशा सहित सभी राज्यों को मंत्रालय द्वारा 3 फरवरी, 2022 के पत्र के द्वारा पीएमजीएसवाई सड़क की नींव डालने संबंधी एडवाइजरी का अनुपालन करने की सलाह दी गई है कि पीएमजीएसवाई सड़क की आधारशिला रखी जानी चाहिए और सड़क का उद्घाटन भी माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा किया जाना चाहिए , जिसकी अध्यक्षता स्थानीय माननीय मंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार की जानी चाहिए। दिनांक 3 फरवरी, 2022 को मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी की प्रति इसके साथ **संलग्न** है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 904 के भाग (ग से ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

फाइल सं. पी-17025/24/2022-आरसी (एफएमएस-378848)

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण संपर्कता प्रभाग
******

कृषि भवन, नई दिल्ली,
दिनांक 3 फरवरी, 2022

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ पीएमजीएसवाई के प्रभारी सचिव।

विषय: पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के लिए जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में जनप्रतिनिधियों के साथ परामर्श के लिए पीएमजीएसवाई में एक अंतर्निहित तंत्र है। सभी राज्यों/संघ राज्यक क्षेत्रों को पहले ही यह सलाह दी जा चुकी है कि पीएमजीएसवाई के तहत शुरू की जाने वाली सड़कों के चयन के मामले में सांसदों और विधायकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुझावों पर विधिवत रूप से ध्यान में रखे जाने की और उन पर पूरा विचार किए जाने की आशा है। इसके अलावा , कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए। मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है और मंत्रालय राज्यय सरकारों को समय-समय पर इस बारे में स्म रण कराता है। हालांकि्मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त एडवाइजरी के बावजूद , विभिन्न सांसदों से उन्हें पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं करने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

2. इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्यक क्षेत्रोंको 28.7.2011 को एक एडवाइजरी जारी की गई थी (प्रतिलिपि संलग्न)। उपरोक्त सलाह का सार कड़ाई से अनुपालन के लिए एक बार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है:

i. कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए;

ii. प्रोटोकॉल आवश्यकताओं के संबंध में , विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के माननीय मंत्रियों के लिए समारोह को आधिकारिक समारोह के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए;

iii. पीएमजीएसवाई सड़क की आधारशिला रखी जानी चाहिए और सड़क का उद्घाटन भी माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा किया जाना चाहिए , जिसकी अध्यक्षता स्थानीय माननीय मंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार की जानी चाहिए।

3. राज्यों को एक बार फिर सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त न हो। **इसके अलावा, उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों की एक अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीर (प्रत्येक), माननीय संसद सदस्यल नाम पट्टिका के साथ ओएमएमएएस पर अपलोड की जानी चाहिए।**

4. सभी संबंधित कृपया इस पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें।

भवदीय,

(के.एम.सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: - 011-2307 0308

प्रतिलिपि:

1. पीएमजीएसवाई लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अभियंता।

2. सभी निदेशक, एनआरआईडीए